बिहार विधान परिषद्

188वां सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग – 3

07 चैत्र, 1940 (श.)

बुधवार, तिथि ----------

28 मार्च, 2018 ई.

प्रश्नों की कुल संख्या – 25

1.	नगर विकास एवं आवास विभाग	....	....	11
2.	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	....	....	08
3.	सामान्य प्रशासन विभाग	....	....	01
4.	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	....	....	03
5.	आपदा प्रबंधन विभाग	....	....	02

			कुल योग –	**25**

दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई

अ *334. **श्री वीरेन्द्र नारायण यादव** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि सिवान जिले के मैरवा नगर परिषद् के अन्तर्गत नगरवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं होने के कारण स्थानीय जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा पानी टंकी का निर्माण कराकर वर्षों पूर्व नगर परिषद्, मैरवा को सुपुर्द कर दिया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि नगर परिषद् के कार्यपालक पदाधिकारी, अभियंताओं एवं अन्य कर्मियों की लापरवाही के कारण उक्त पानी टंकी का मोटर खराब हुए वर्षों हो गए जिसके कारण नागरिकों को स्वच्छ पानी का वितरण नहीं हो रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पानी टंकी को ठीक कराकर आम जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?

यंत्रों की स्थापना

* 428. **श्री संजीव कुमार सिंह** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य के सभी मुख्यालयों में भू मानचित्र मापक यंत्र (प्लॉटर मशीन) की स्थापना की गई है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त यंत्र की स्थापना कहीं-कहीं प्रखंड मुख्यालय में की गई है, जहां सुदूर प्रखंड के लोगों को आने-जाने एवं कार्य कराने में भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार लोकहित में ऐसे महत्वपूर्ण यंत्रों की स्थापना प्रखंड मुख्यालय में ही करने हेतु विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों ?

अ - दिनांक-20.3.2018 ई. से स्थगित

कांस्टेबल की नियुक्ति

***** 429. **श्री केदार नाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि दानापुर बस स्टैंड का पूरी तरह से ऑटो वालों एवं ठेला वेंडरों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि बस स्टैंड को पूरी तरह अतिक्रमण कर लिये जाने के कारण आम लोगों को आने-जाने में काफी असुविधा हो रही है;

(ग) क्या यह सही है कि बस स्टैंड पर एक भी पुलिस की प्रतिनियुक्ति नहीं रहने से वहां की स्थिति और भी बदतर हो गयी है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जन जीवन सामान्य करने के लिए दानपुर बस स्टैंड पर स्थायी रूप से कम से कम चार कांस्टेबल की प्रतिनियुक्ति करने का विचार रखती है ?

सेवा का नियमितीकरण

***** 430. **प्रो. संजय कुमार सिंह** : क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन अंतर्गत कार्यरत कार्यपालक सहायक के परिश्रम के कारण बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन को लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के सफल संचालन के लिए अवार्ड मिला है;

(ख) क्या यह सही है कि संविदा पर कार्यरत इन कार्यपालक सहायकों को इतनी भीषण महंगाई में मात्र 10332 रुपये का मानदेय भुगतान किया जाता है;

(ग) क्या यह सही है कि इतने परिश्रमी कर्मचारियों की सेवा का नियमितीकरण करने से उक्त योजना को और बेहतर किया जा सकता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार खंड 'क' में वर्णित कर्मचारियों को जनहित में नियमित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

समस्या का समाधान

***** 431. **श्री सी. पी. सिन्हा** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार राज्य जल पर्षद ने बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी, टी.वी. टावर और बोरिंग रोड पंपिंग स्टेशन की मरम्मती एवं क्षमता विस्तार के लिए डी.पी.आर. नगर निगम को भेजा है;

(ख) क्या यह सही है कि जल पर्षद ने निगम से 41 लाख रुपये की मांग की है, योगीपुर नाला एवं बोरिंग रोड इलाके में जल जमाव की बड़ी समस्या रहती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राजधानी के तीन पंपिंग स्टेशन को दुरुस्त करने एवं समस्या के समाधान के लिए राशि निर्गत कर शीघ्र कार्य को चालू कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

अतिक्रमण से मुक्ति

***** 432. **श्री राधा चरण साह** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत सिंहवारा प्रखंड के ग्राम भड़वारा में गरभू दयाल सिंह का गहवर एवं स्मृति स्थल है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त स्थल पर ग्रामीण जनता और बाहर से भी लोग पूजा-पाठ करने के लिए आते हैं;

(ग) क्या यह सही है कि मौजा भड़वारा में गरभू दयाल सिंह का गहवर स्मृति स्थल थाना सं.-71, खेसरा संख्या-210 एवं पुराना 211 गैर मजरूआ फकीरा-11 के उस्ट्रल सर्वे खतियान में दर्ज है और इसके बगल में भी बिहार सरकार की भूमि पर हाट लगता है;

(घ) क्या यह सही है कि उक्त भूमि पर असामाजिक तत्वों के द्वारा भूमि को अतिक्रमण करने और ग्रामीण जनता से हमेशा झगड़ा होने की संभावना बनी रहती है, लेकिन अंचलाधिकारी सिंहवारा की लापरवाही के चलते ग्रामीण जनता की शिकायत के बाद भी अतिक्रमण से उक्त स्थल को मुक्त नहीं कराया जा रहा है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए उक्त भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराना चाहती है ?

भौतिक सत्यापन

***** 433. **श्री रजनीश कुमार** : क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि कई जिलों के खाद्य निगम के गोदामों से अनाज गायब हो रहे हैं;

(ख) क्या यह सही है कि बेगूसराय जिले में करीब चार करोड़ रुपये का गेहूं-चावल और कटिहार जिले के गोदाम से 21 हजार, 741 क्विंटल अनाज का कोई अता-पता नहीं है;

(ग) क्या यह सही है कि एस.एफ.सी. के अन्य गोदामों से भी अनियमितता के मामले उजागर हो रहे हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार एस.एफ.सी. के सभी गोदामों के स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

अनुदान की राशि

***** 434. **श्री तनवीर अख्तर** : क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक-4.9.2017 को दैनिक समाचार पत्र 'प्रभात खबर' में प्रकाशित 'गंडक नदी में बच्चे की डूबने से मौत' शीर्षक की ओर आकृष्ट हुआ है;

(ख) क्या यह सही है कि शमी रजा, पिता-मतीउर रहमान, ग्राम-भाथा (मउली), थाना-मकेर, जिला- सारण की मृत्यु दिनांक-3.9.2017 को गंडक (नारायणी) नदी में डूबने से हो गई थी जिसकी सूचना आपदा कार्यालय (छपरा), सारण को दे दी गई थी;

(ग) क्या यह सही है कि अंचलाधिकारी, मकेर, सारण के द्वारा दिनांक-10.10.2017 को मृतक के पिता से आपदा अनुदान मुहैया कराने हेतु आपदा साहाय्य अभिलेख संधारण संबंधित कागजात की मांग की गई थी, जिसे दिनांक-12.10.2017 को अंचलाधिकारी, मकेर को प्राप्त करा दिया गया था;

(घ) क्या यह सही है कि अंचलाधिकारी, मकेर, सारण द्वारा पत्रांक-553, दिनांक-5.12.2017 के द्वारा अभिलेख संधारण संबंधी सम्पूर्ण कागजात अनुमंडल पदाधिकारी, सदर छपरा को भेजा गया था परन्तु अबतक अनुदान की राशि प्राप्त नहीं हुई है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मृतक के परिवार, जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है, को आपदा कोष से चार लाख रुपये की अनुदान राशि शीघ्र उपलब्ध कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

गंदगी से निजात

***** 435. **श्री संजय प्रकाश** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना नगर निगम क्षेत्र में अनेक मुहल्ले में या तो डस्टबिन की व्यवस्था नहीं है, या कूड़ेदान के यत्र-तत्र लोग कचरा फेंकते हैं जिससे निरंतर गंदगी का अंबार लगा रहता है जिस कारण इस गंदगी के पास पशु विचरण करते रहते हैं;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार इस स्मार्ट सिटी को कबतक आवारा पशु और अपार गंदगी से निजात दिलाना चाहती है ?

गोदाम हटाने पर विचार

***** 436. **श्री रामचन्द्र भारती** : क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

(क) क्या यह सही है कि राजधानी पटना के शास्त्रीनगर स्थित सरकारी आवासीय कॉलोनी के ठीक बीचोबीच बिहार राज्य खाद्य निगम का दशकों पुराना गोदाम जर्जर स्थिति में अवस्थित है;

(ख) क्या यह सही है कि गोदाम के वहां रहने के कारण उक्त आवासीय कॉलोनी में ट्रकों एवं अन्य मालवाहक वाहनों का दिन-रात आना-जाना लगा रहता है जिससे कॉलोनी में रहने वालों को काफी असुविधा होती है;

(ग) क्या यह सही है कि इन भारी वाहनों के आवागमन से हमेशा कॉलोनी की सड़क, बिजली का तार-पोल, जलापूर्ति पाइप तथा आवास की चहारदीवारी टूटती रहती है;

(घ) क्या यह सही है कि सरकारी आवासीय कॉलोनी में इन वाहनों के ड्राइवर, खलासी द्वारा आपस में गाली-गलौज एवं शोरगुल करने के कारण आवासियों का दिन का चैन एवं रात की नींद हराम रहती है तथा वे अनिद्रा, तनाव, उच्च रक्तचाप आदि बीमारियों से ग्रसित होते रहते हैं;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खाद्य निगम के इस गोदाम को शीघ्रातिशीघ्र हटाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

मालिकाना हक दिलाना

***** 437. **श्री संजय प्रसाद** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि लखीसराय जिला के सूर्यगढ़ा प्रखंड अन्तर्गत अमरपुर मौजा थाना नं.-51, खाता नं.-16, खेसरा नं.-9/10 रकबा 09 डी. जमाबंदी 122 जमीन भूदान यज्ञ कमिटी, मुंगेर पर्ची सर्टिफिकेट सं.-043908/126696 है, जिसकी जमाबंदी साधो महतो, पिता-बाबूलाल महतो के नाम से लगान रसीद 1990-91 में काटी गयी थी;

(ख) क्या यह सही है कि साधु महतो की मृत्यु के बाद उक्त जमीन पर भू-माफिया के द्वारा गलत फर्जी कागजात कर रजिस्टर 2 में नाम कर्मचारियों को पैसा देकर उस जमीन को भू-माफियाओं ने अपने कब्जे में ले लिया तथा उसपर मकान निर्माण कर दिया है;

(ग) क्या यह सही है कि जयराम महतो के द्वारा दिए गए आवेदन पत्र पर सूर्यगढ़ा अनुमंडलाधिकारी दिनांक-24.11.2015 में जांच प्रतिवेदन में रजिस्टर पंजी 2 में वाद सं.-672/2002-03 के आवेदन पर मात्र शपथ-पत्र का आधार दिखाकर खेसरा 9/10, तौजी नं.-351, जमाबंदी नं.-122 दर्ज कर दिया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार शपथ-पत्र के आधार को रद्द जमाबंदी कर भूदान यज्ञ कमिटी के द्वारा दी गयी जमाबंदी को मालिकाना लागू कर जयराम महतो को हक देना तथा साजिशकर्ता व्यक्तियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

योजना धरातल पर कबतक

*438. **डा. दिलीप कुमार जायसवाल** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सूबे की जलापूर्ति योजनाओं पर विभागीय लालफीताशाही एवं गैर जिम्मेवार कार्य प्रणाली के कारण ग्रहण लगा हुआ है;

(ख) क्या यह सही है कि पटना शहर, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर जलापूर्ति योजनाओं का मामला या तो डी.पी.आर. स्तर पर लंबित है या तो विभाग के पास दूरदर्शी योजना बनाने का सोच नहीं है;

(ग) क्या यह सही है कि संपूर्ण बिहार में सैकड़ों जल मीनार, जो अरबों की लागत से बनी है, सफेद हाथी बनकर खड़ी है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक पटना, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर जलापूर्ति योजना को धरातल पर लाना चाहती है एवं संपूर्ण बिहार में कितनी जल मीनारें ऐसी हैं, जो बनकर तैयार हैं, लेकिन अबतक जलापूर्ति नहीं की जा रही है ?

कभर्ड नालों का निर्माण

* 439. **श्री दिनेश प्रसाद सिंह** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत स्टेशन रोड, मुजफ्फरपुर के उत्तर की ओर काफी संख्या में रेस्टुरेन्ट एवं होटल हैं और सामने बड़ा नाला है, जो कच्चा है, वह जाम रहता है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त नाला का कोई निकास नहीं है और उसके ऊपर होटलवालों द्वारा बांस की चचरी रख दी गयी है, उस चचरी पर आने-जाने के क्रम में चचरी टूट जाती है तथा लोग नाले में गिर जाते हैं;

(ग) क्या यह सही है कि बरसात के दिनों में नाला ओवरफ्लो हो जाता है, जिससे सड़क पर जलजमाव की स्थिति बनी रहती है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपर्युक्त वर्णित नाला को पक्का कभर्ड नाला बनवाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई

***** 440. **श्री सुबोध कुमार** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला के झंझारपुर नगर पंचायत के वार्ड नं.-14 बेलाराही, रामपुर टोला की सरकारी जमीन, नया खाता संख्या-2314, खेसरा नं.-7754, (पुराना खाता सं-811, खेसरा नं.-5106) को दिनांक- 9.11.2016 को अतिक्रमणकारियों के अवैध कब्जे से अंचलाधिकारी एवं झंझारपुर थाना की संयुक्त कार्रवाई द्वारा मुक्त कराया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि इस जमीन पर पुन: अतिक्रमण नहीं होने का निदेश प्रशासन द्वारा झंझारपुर थाना को दिया गया था परन्तु दिनांक-22 फरवरी, 2018 से पूर्व के अतिक्रमण करने वालों द्वारा दबंगई दिखाते हुए पुन: अतिक्रमित किया जा रहा है;

(ग) क्या यह सही है कि एस.डी.ओ., झंझारपुर, जिला पदाधिकारी, मधुबनी एवं झंझारपुर थाना को इसकी सूचना देने के बावजूद न तो जमीन को अतिक्रमणकारियों से खाली करवाने का प्रयास किया जा रहा है, न अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और न ही वहां शांति व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकारी जमीन पर दोबारा अतिक्रमण करने का प्रयास करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए क्षेत्र में अमन-चैन बहाल कर जमीन को अतिक्रमणकारियों से खाली करवाने के लिए क्या सरकार तुरंत कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

कमिटी से जांच

*****441. **श्रीमती रीना देवी** : क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि अनुमंडल पदाधिकारी, बिहारशरीफ, नालंदा के द्वारा सी.एम.आर. संग्रहण केन्द्र, राज्य भंडार निगम-6 बाजार समिति एवं गणेश वेयर हाउस, दीपनगर के निरीक्षण के दौरान भंडारित चावल निर्धारित मानक से काफी कम गुणवत्ता का पाया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि सी.एम.आर. प्रभारी के विरुद्ध अनुमंडल पदाधिकारी, बिहारशरीफ द्वारा अपने पत्रांक-1509, दिनांक-28.10.2017 द्वारा घटिया चावल लेने की जांच कराने हेतु जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, नालंदा को प्रेषित की गई थी;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो उक्त केन्द्रों के प्रभारी के कार्यकाल तथा वर्तमान प्रभारी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, नालंदा की जांच उच्चस्तरीय कमिटी से करवाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

नगर पंचायत के रूप में नामकरण

*442. **श्री देवेश चन्द्र ठाकुर** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि मुजफ्फरपुर जिला कटरा प्रखंड स्थित पहसौल पंचायत की आबादी 12,000 से अधिक है;

(ख) क्या यह सही है कि पहसौल पंचायत, नगर पंचायत के सभी मापदंडों को पूरा करती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार पहसौल पंचायत को नगर पंचायत के रूप में नामित करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?

ससमय हस्तांतरण

*443. **श्री अशोक कुमार अग्रवाल** : क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि कटिहार जिला में विगत वर्ष आयी बाढ़ से प्रभावित किसानों/परिवारों को अनुदान हेतु बनायी गयी सूची में व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी हुई;

(ख) क्या यह सही है कि प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी की लापरवाही के कारण प्रभावित परिवारों एवं किसानों को बाढ़ क्षतिपूर्ति अनुदान की राशि अबतक प्राप्त नहीं हुई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रभावितों के खाते में क्षतिपूर्ति अनुदान की राशि समय पर हस्तांतरण करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

मुआवजा का भुगतान

*444. **श्री अदित्य नारायण पाण्डेय** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि गोपालगंज एन.एच.-28 से सिवान-छपरा एन.एच.-85 के सड़क निर्माण में लगभग 533 किसानों की सड़क में अधिगृहीत जमीन के मुआवजे की राशि लंबित है;

(ख) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 32,74,38,889/- रु. की राशि जिला मुख्यालय के पास पूर्व में ही भेजी जा चुकी है;

(ग) क्या यह सही है कि विभागीय शिथिलता के कारण अभी तक मात्र 215 किसानों को मुआवजे की राशि का भुगतान किया गया है एवं शेष किसान सरकारी दफ्तर का चक्कर काट रहे हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार शेष किसानों के लंबित मुआवजे की राशि का भुगतान कबतक करना चाहती है, यदि नहीं तो क्यों ?

धांधली एवं अनियमितताएं

*445. **डा. रामवचन राय** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि नगर पंचायत घोघरडीहा, जिला मधुबनी के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल-408 आवासों के निर्माणार्थ नगर विकास विभाग द्वारा स्वीकृति दी गयी थी जिसके निर्माण में बड़े पैमाने पर धांधली एवं अनियमितताएं बरती गयी हैं;

(ख) क्या यह सही है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मधुबनी का पत्रांक-2399, दिनांक-28.12.2017 के आलोक में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी के द्वारा इस मामले की जांच करायी गयी थी, जिन्होंने आवास योजना में बरती गयी व्यापक अनियमितता एवं धांधली की सम्पुष्टि करते हुए अपना जांच प्रतिवेदन पत्रांक-22/भू.अ., दिनांक-8.1.2018 के द्वारा निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को समर्पित कर दिया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बताएगी कि इस दिशा में अबतक क्या कार्रवाई की गयी है, क्या सरकार अब भी इस दिशा में कोई कार्रवाई करने का विचार रखती है, हां तो कौन-सी और कबतक, और यदि नहीं तो क्यों ?

बकाये का भुगतान

***** 446. **श्री वीरेन्द्र नारायण यादव** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

(क) क्या यह सही है कि अम्बिका प्रसाद हरिजन सेवानिवृत्ति के पश्चात् अंचल, सिवान में संविदा पर वर्ष 2013 से अंचल अमीन के पद पर कार्य करते आ रहे हैं;

(ख) क्या यह सही है कि अम्बिका प्रसाद हरिजन सिवान अंचल के अलावा जीरादेई, नवतन, मैरवा एवं गुठनी के भी प्रभार में हैं;

(ग) क्या यह सही है कि वर्ष 2013 से वर्ष 2017-18 तक कुल मानदेय की राशि 1179429/- रुपये में से मात्र 56700/- रुपये का भुगतान उन्हें किया गया है और शेष रुपया बाकी है, बकाये के भुगतान के लिए वर्षों से विभाग में गुहार लगाने को वे विवश हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अम्बिका प्रसाद हरिजन, अंचल अमीन, सिवान सदर के तमाम बकाये का भुगतान सुनिश्चित करने सहित दोषियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

तालाब की घेराबंदी

***** 447. **श्री सुमन कुमार** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला के फुलपरास अनुमंडल अंतर्गत कारमेघ उत्तरी पंचायत के लौकहा गांव के दलित वर्ग के लोग, गरीब किसान तथा ग्रामीणों के लिए मानी जाने वाली जीवन रेखा के रूप में अलबंकी तालाब की प्रशासनिक स्तर पर घेराबंदी की जा रही है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त तालाब की कब्रिस्तान के रूप में घेराबंदी होने से लौकहा गांव के ग्रामीणों के सामने कठिनाई पैदा होगी;

(ग) क्या यह सही है कि पुराना सर्वे नक्शा के अनुरूप अलबंकी तालाब के उत्तरी भाग में कब्रिस्तान हेतु 4 कट्ठा स्पष्ट द्रष्टव्य होते हुए भी सरकारी राशि का दुरुपयोग करने वास्ते जबरन पूरे तालाब की घेराबंदी कब्रिस्तान के लिए की जा रही है;

(घ) क्या यह सही है कि ग्रामीणों के द्वारा इसकी लिखित शिकायत भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फुलपरास से करने के बावजूद भी घेराबंदी का निर्माण किया जा रहा है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अलबंकी तालाब को छोड़कर सिर्फ कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने की दिशा में यथोचित कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

नियमित साफ-सफाई

***** 448. **श्री शिव प्रसन्न यादव** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना को स्वच्छ बनाने के लिए पटना की विभिन्न सड़कों, बेली रोड सहित के किनारे पटना नगर निगम द्वारा 'स्वच्छ भारत समृद्ध भारत' लिखा हुआ एक स्टील का लम्बा ड्रम रखा गया है;

(ख) क्या यह सही है कि बेली रोड पर देश विख्यात म्यूजियम भी बनाया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि बेली रोड, पटना की बगल में 60 ऑफिसर फ्लैट, हॉस्टल ए.बी.सी. एवं अन्य सरकारी एवं गैर सरकारी आवास अवस्थित हैं, जहां घरों के कूड़े-कचरे इत्यादि रखने के लिए कोई सामान, नगर निगम के द्वारा नहीं रखा गया है;

(घ) क्या यह सही है कि कूड़े-कचरे एवं अन्य गंदगी का समय पर उठाव नहीं करने से वहां के निवासी परेशान रहते हैं और मच्छर इत्यादि को मारने की कोई व्यवस्था नहीं है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार क्वार्टरों के अंदर पटना नगर निगम द्वारा 'स्वच्छ भारत समृद्ध भारत' वाला ड्रम रखने एवं नियमित साफ-सफाई कबतक कराना चाहती है, हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

आवागमन की सुविधा

* 449. **श्री दिलीप राय** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि मुख्यमंत्री की सात निश्चय योजना के तहत आवासीय मुहल्लों को सड़कों से जोड़ने का प्रावधान है;

(ख) क्या यह सही है कि ऐसे संपर्क पथों के पक्कीकरण से स्थानीय निवासियों को आने-जाने में सुविधा हो जाएगी;

(ग) क्या यह सही है कि पटना शहर के वार्ड नं.-3 में उफरपुरा ग्राम से खगौल रोड रेलवे लाइन के उत्तर की ओर जानेवाली कैटल फार्म सड़क पर व्यस्त आवागमन के कारण जाम की स्थिति बनी रहती है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कैटल फार्म सड़क को जगदेव पथ से जोड़कर और पक्कीकरण कर स्थानीय लोगों को आवागमन की सुविधा देना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

कचरा एवं खटाल हटाने पर विचार

* 450. **डा. सूरज नन्दन प्रसाद** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत वार्ड नं.-42, सर्किल सं.-29, थाना कदमकुआं के काजीपुर मुहल्ले में राधा कृष्ण मंदिर के निकट कचरा का ढेर एवं खटाल रहने के कारण आने-जाने वाले लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या यह सही है कि मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी एवं आम नागरिकों को इस दयनीय स्थिति से काफी परेशानी होती है;

(ग) क्या यह सही है कि कचरा एवं खटाल से सड़क का अतिक्रमण करने के कारण कभी भी दुर्घटना की संभावना बनी रहती है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खटाल एवं कचरे को हटाते हुए आम नागरिकों को सुविधा प्रदान करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

अवैध कब्जा से मुक्ति

***** 451. **श्री सुबोध कुमार** एवं **श्री शिव प्रसन्न यादव** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत पंडारक प्रखंड के राज बकावां अंतर्गत बकावां गांव के निवासी श्री अशोक कुमार सिंह एवं श्री कृष्ण मोहन सिंह द्वारा आम गैर मजरूआ जमीन प्लॉट संख्या-1290 और राजस्व थाना नं.-307 पर जबरन कब्जा कर मकान निर्माण किया जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त जमीन, जिसका कब्जा श्री अशोक कुमार सिंह एवं श्री कृष्ण मोहन सिंह द्वारा किया गया है, वह गांव का पईन है एवं गांव के किसान उस पईन से खेती का काम करते हैं;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त पईन की जमीन पर निजी व्यक्तियों का कब्जा हो जाने से सिंचाई की सुविधा समाप्त हो जायेगी, जल निकासी बाधित होगी और ग्रामीण सड़क पर जल जमाव के कारण लोगों का आना-जाना दूभर हो जाएगा;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज बकावां अंतर्गत बकावां गांव के निवासी श्री अशोक कुमार सिंह एवं श्री कृष्ण मोहन सिंह द्वारा आम गैर मजरूआ जमीन प्लॉट संख्या-1290 और राजस्व थाना नं.-307 को अवैध कब्जा से मुक्त करवायेगी, यदि हां तो कबतक ?

पटना
दिनांक 28 मार्च, 2018 ई.

सुनील कुमार पंवार
सचिव
बिहार विधान परिषद्